संख्या-67/2015/1114/26-3-2015-10(1)/2013टी.सी.

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 जून, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा, लखीमपुरखीरी में रेनवाटर हार्वेस्टिंग के निर्माण हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-11015/16(24)/2014-एसजी-1, दिनांक-26.09.2014 के क्रम में निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-16/138/ज0जा0वि0/2015-16, दिनांक-10.04.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत शतप्रतिशत केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत संचालित एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा, लखीमपुरखीरी में रेनवाटर हार्वेस्टिंग के निर्माण श्री राज्यपाल महोदय रूपया-20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माण इकाई के साथ एम.ओ.यू. अनुबंध कराने के उपरान्त ही आहरित कर कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, जनजाति विकास उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(3) उक्त निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्कता के अनुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर के डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी ।

(5) उक्त प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व समस्त वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त कर ली जायेगी।

(6) प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। निर्माण कार्य की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित बाटआउट आइटम्स के कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं0-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-'4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद-275 (1) के अन्तर्गत जनजातियों का कल्याण हेतु माडल विद्यालय-24-वृहत निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त (ब्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-67/2015/1114(1)/26-3-2015 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- जिलाधिकरी, लखीमपुरखीरी।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0।
5- निदेशक, एन0आई0सी0 की एक प्रति।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
8- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।